न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025/418
मुकदमा नम्बर 125/2025 दर्ज दिनांक– 23.07.2025

1. चावली पुत्री धन्ना उर्फ पन्ना जाति जाट निवासी मीठारवालों की ढाणी खिरोड,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
2. पारी पुत्री धन्ना उर्फ पन्ना जाति जाट निवासी मीठारवालों की ढाणी,खिरोड,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
3. भगवानी पुत्री धन्ना उर्फ पन्ना जाति जाट निवासी मीठारवालों की ढाणी,खिरोड,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
4. श्रवणी पुत्री धन्ना उर्फ पन्ना जाति जाट निवासी मीठारवालों की ढाणी,खिरोड,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

—आवेदक

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
2. बैंक ऑफ इंडिया शाखा बसावा तहसील नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री महेश कुमार नारनोलिया
वकील अनावेदक :— पैरा. राज.

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 10.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम मीठारवालों की ढाणी पटवार हल्का खिरोड की सरहद में भूमि खाता सं. नया 63 पुराना 5 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 2111 रकबा 2.57 है0, खसरा नं. 2138 रकबा 1.52 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.09 है0 के राजस्व रिकार्ड में आवेदिकागण के पिता का नाम धन्ना के स्थान पर पन्ना दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर एतराज व्यक्त नही किया गया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम मीठारवालों की ढाणी पटवार हल्का खिरोड की सरहद में भूमि खाता सं. नया 63 पुराना 5 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 2111 रकबा 2.57 है0, खसरा नं. 2138 रकबा 1.52 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.09 है0 के राजस्व रिकार्ड में आवेदिकागण के पिता का नाम धन्ना के स्थान पर पन्ना, दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू